

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

जौनपुर।

पत्र संख्या- रीडर/सीएफओजे/पेट्रोलपम्प(जौनपुर)/2016
सेवा में,

दिनांक: मई 21, 2016

नगर मजिस्ट्रेट/प्र0अ0 (शस्त्र),
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
जौनपुर।

विषय:-

आवेदिका श्रीमती रीमा सिंह पत्नि श्री विशाल सिंह, बिम्बसार नगर एन.वी.आर. 28/ए प्लाटनं0 202 हाईवे कोपेरेटिव सोसाइटी, गोरेगांव ईस्ट, मुम्बई(महाराष्ट्र) द्वारा संशोधित मानचित्र आराजी नं0-30 मि0, 42मि0, 43 मि0, खाता सं0 487ए, ग्राम-धर्मापुर, तहसील-सदर, थाना-गौराबादशाहपुर, जिला-जौनपुर पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड वाराणसी द्वारा रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भ:-

आपका पृ0 सं0: 220(2)/व0श0लि0-जौनपुर दिनांक: 13-05-2016

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जो उपरोक्त विषयक है।

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके पृ0सं0:159(2)/व0 श0 लि0-जौनपुर दिनांक: 04-04-2016 के अनुपालन में प्रस्तुत मानचित्र का परीक्षण व स्थल का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी जौनपुर द्वारा कराकर इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 11-04-2016 द्वारा आख्या प्रेषित किया गया था। पुनः आपके पृ0सं0: 220(2)/व0श0लि0-जौनपुर दिनांक: 13-05-2016 के अनुपालन में मेरे द्वारा आवेदिका श्रीमती रीमा सिंह पत्नि श्री विशाल सिंह, बिम्बसार नगर एन.वी.आर. 28/ए प्लाटनं0 202 हाईवे कोपेरेटिव सोसाइटी, गोरेगांव ईस्ट, मुम्बई(महाराष्ट्र) द्वारा आराजी नं0 30मि, 42मि0, 43मि0, खाता सं0-487ए, ग्राम-धर्मापुर, थाना-गौराबादशाहपुर (जौनपुर-आजमगढ़ रोड), तहसील-सदर, जिला-जौनपुर पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड वाराणसी द्वारा रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्रस्तुत संशोधित मानचित्र का परीक्षण तथा उनके साथ स्थल का अग्निशमन सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण एवं परीक्षण अग्निशमन अधिकारी जौनपुर द्वारा कराया गया तो आख्या निम्नवत् है:-

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था एवं सुझाव:-

- 1- बफर स्ट्रीप पेट्रोलियम एक्ट के मानक के अनुसार बनाया जाय।
- 2- स्थल पर कैनोपी का निर्माण मानक के अनुरूप किया जाय।
- 3- अन्य सभी शर्तें मानचित्र में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अंकित टिप्पणी क्र0सं0 1 से 23 का अक्षरशः अनुपालन किया जाय, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेसर्स/प्रबन्धन की होगी।
- 4-पेट्रोलियम एक्ट एवं रूल्स 2010 के प्रपत्र 14 में उल्लेखित तथा पेट्रोलियम एक्ट के चैप्टर 4 के नियम संख्या 117 के अनुसार व्यवस्थापन सम्बन्धी शर्तों एवं सुझावों का अक्षरशः पालन किया जाय।


C.F.O.
J.N.R.

5-आईएस 2190-1992 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स की व्यवस्था निम्न संख्या में की जाय।

ए-डीसीपी/एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा -	04 अदद
बी- स्थल पर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 50 लीटर-	01अदद
सी- सीओटू टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा -	01 अदद
डी- फायर बकेट (सैन्ड)-	06 अदद
ई- फायर बकेट (वाटर)-	06 अदद
एफ- ब्लैकेट 1.20मी0 चौड़ा व 1.50मी0 लम्बा-	02 अदद
जी- प्रश्नगत स्थल पर पानी का अण्डर ग्राउण्ड टैंक क्षमता 10000ली0-	01 अदद
एच- धूम्रपान निषेध का बोर्ड -	02 अदद
6- फायर स्टेशन जौनपुर का टेलीफोन नम्बर 05452-269999, मो0नं0-9454418612, आपात नम्बर-101, पुलिस कन्ट्रोल रूम नं0-100 का बोर्ड-	02 अदद

अतः आवेदिका को इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) पर स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदिका की होगी।


(आर0पी0राय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जौनपुर।

- प्रतिलिपि: 1. आवेदिका श्रीमती रीमा सिंह पत्नि श्री विशाल सिंह, बिम्बसार नगर एन.वी.आर. 28/ए प्लॉटनं0 202 हाईवे कोपरेटिव सोसाइटी, गोरेगांव ईस्ट, मुम्बई(महाराष्ट्र) को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अग्निशमन अधिकारी जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।